फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय निवासी Q–3 गोविन्दनगर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, धोईन्दा जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 98/2025**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 24.11.2025 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से जरिये पृष्ठांकित अपीलार्थी पत्र क्रमांक :– RTI/2025/510 दिनांक 14.11.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 में चाही गई सूचना के संबंध में रेफरेन्स संख्या 17689132 के संबंध में की गयी जांच का प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के खमनोर तहसीलदार का पद ग्रहण करने से पूर्व की अवधि का है। चूँकि उक्त अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता का पदस्थापन अन्यत्र था। अतः इस संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यालय के कार्मिको से मौखिक पूछताछ की गई एवं उपस्थिति पंजिका का अवलोकन कर रिपोर्ट श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को प्रेषित की। उक्त रिपोर्ट के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं था। बिन्दु संख्या 2 में चाही गई सूचना अपीलार्थी भिजवायी गयी, बिन्दु संख्या 3 में चाही गई सूचना सृजनात्मक प्रकृति की होने से दिया जाना संभव नहीं है, बिन्दु संख्या 4 में चाही गई सूचना के प्रकटन से लोकहित का समर्थन नही होता है अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(ड़) अनुसार उक्त सूचना दिया जाना उचित नहीं है एवं बिन्दु संख्या 5 व 6 में चाही गई सूचना सृजनात्मक प्रकृति की होने से एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(ड़) अनुसार उक्त सूचना के प्रकटन से लोकहित का समर्थन नहीं होता है। अतः उक्त सूचना दिया जाना उचित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा आवेदन में बिन्दु संख्या 3 में आवक जावक रजिस्टर दिनांक 10.06.2025 से 11.09.2025 की प्रति चाही गई। जो दिया जाना मै, उचित समझता हूँ। तथा बिन्दु संख्या 4 के संबंध में जो निर्णय लोक सूचना अधिकारी द्वारा किया गया है उससे मै सहमत हूँ बिन्दु संख्या 5 में अपीलार्थी द्वारा जो भी सूचनाएं चाही गई है वो अन्य व्यक्तियों	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

की संपत्तियों के हस्तान्तरण के संबंध में है अतः अन्य व्यक्तियों की सूचना के संबंध में संबंधित आदेश उनकी सहमति के बिना दिया जाना मै, उचित नहीं समझता हूँ साथ ही बिन्दु संख्या 6 में जो सूचना चाही गई है वो अन्य व्यक्तियों की संपत्ति के विभाजन और उनके राजस्व रिकॉर्ड के शुद्धी के संबंध में जिसकी सूचना भी मै, प्रार्थी को दिये जाने के संबंध में कोई आधार यहां पर प्रकट नहीं होने से दिया जाना उचित नहीं समझता हूँ। अन्य व्यक्तियों की संपत्तियो की सूचना किसी तृतीय पक्षकार को तभी दी जा सकती है जबकी उस संपत्ति के संबंध में उसके स्वामी की सहमति प्राप्त की गयी हो। अतः अपीलान्ट के अपील के बिन्दु संख्या 3 के संबंध में स्वीकार की जाती है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा वांछित दिनांक 10.06.2025 से 11.09.2025 के पेज की प्रति दी जाए अन्य बिन्दुओ के संबंध में अपील स्वीकार नहीं की जाती है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को इसी स्तर पर निर्णित की जाती हैं।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)